निर्यात सप्लाई श्रृंखला में सामाजिक लेबल प्रणाली : क्या स्वैच्छिक प्रमाणीकरण कार्यक्रम बाल मज़दूरी का खात्मा कर सकते हैं ?

Social Labeling in Export Supply Chains: Can Voluntary Certification Programs End Child Labor?

गे साइडमैन
Gay Seidman
12.21.09

2008 के मध्य में भारत में बाल मज़दूरी की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने एक नई रणनीति की घोषणा की थी: आयोग ने अपनी घोषणा में राज्य सरकारों और निर्यात संवर्धन परिषदों से कहा था कि वे सप्लाई श्रृंखलाओं पर निगरानी रखें और यह प्रमाणित करें कि कोई भी बच्चा निर्यात बाज़ारों के लिए तैयार होने वाले उत्पादों के लिए काम न करे. निश्चय ही इसका उद्देश्य यही रहा होगा कि बच्चों का शोषण करने वाली कंपनियों का बहिष्कार करने वाले उपभोक्ताओं से उन्हें संरक्षण दिलाया जा सके.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) का यह आह्वान हाल ही के अनेक घोटालों के बाद किया गया था, जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारतीय उप ठेकेदारों द्वारा दस वर्ष तक के बच्चों को काम पर लगाया गया था. वर्ष 2007 के उत्तरार्ध में ब्रिटिश समाचार पत्र “द ऑब्ज़र्वर” ने इसका खुलासा किया था और गैप को ब्रिटिश ऐप्परल रिटेलर प्रिमार्क के लिए क्रिसमस के कपड़ों की खरीद का ऑर्डर रद्द करने के लिए उकसाया था. इसके कारण भारत के संपूर्ण वस्त्र उद्योग पर दाग लग गया था.

इन घोटालों के दुष्प्रचार के कारण भारत के निर्यात पर भारी असर हुआ था. इसके कारण वैश्विक उत्पादन का पैटर्न ही बदलना शुरू हो गया था. 1980 के दशक के मध्य से कपड़ों से लेकर दवा उद्योग तक के उद्योगों के बड़े-बड़े ब्रैंड डिज़ाइन और विज्ञापन पर ध्यान देने लगे. वास्तविक उत्पादन विश्व भर के उप ठेकेदारों को आउटसोर्स किया जाने लगा. ये ही लोग ब्रैड के अनुबंधों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने लगे. उप ठेकेदारों के लिए उत्पादन की लागत में से एक पैसे की कटौती से भी मुनाफ़े में बढ़ोतरी हो सकती है और अनुबंध जीतने की संभावना भी बढ़ सकती है. और इस प्रकार लागत कम करने का दबाव बहुत बढ़ जाता है. .

यह समझते हुए कि कई सरकारों में न तो अपने ही श्रमिक नियमों के अनुपालन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है और न ही क्षमता है, बहुराष्ट्रीय कार्यकर्ता वैश्विक ब्रैंडों को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं. तर्क यह है कि गैप जैसी कंपनियाँ यदि गुणवत्ता के आश्वासन के लिए अपने सप्लायरों पर निगरानी रख सकती हैं तो वे बाल मज़दूरी पर भी निगरानी रख सकती हैं. और यदि ब्रैंड अपने सप्लायरों को कटौती करने की छूट देते हैं तो नैतिक उपभोक्ताओं को उन ब्रैंडों का बहिष्कार कर देना चाहिए.

इन चुनौतियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बहुत नर्वस हो जाती हैं. एक सप्लायर द्वारा या एक देश में किया जाने वाला घोटाला कंपनी की छवि को बरसों तक खराब कर सकता है. जो सरकारें निर्यात के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए भी यह चुनौती बहुत गंभीर है. बाल मज़दूरी से संबंधित एक घोटाला भी सभी बड़े ब्रैंडों को अपना उत्पादन कहीं और स्थानांतरित करने के लिए उकसा सकता है. इसके कारण वे उप ठेकेदार भी लड़खड़ा सकते हैं, जिन्होंने अपना उच्च स्तर बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की होती है. भारत सरकार का यह प्रस्ताव वास्तव में इस प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए ही रखा गया है. बजाय इसके कि “कुछ खराब सेबों” के कारण सारा क्षेत्र ही बर्बाद हो जाए, प्रमाणीकरण कार्यक्रमों और “सामाजिक लेबल प्रणाली ” की सहायता से उन स्थानीय सुविधाओं को चिह्नित किया जा सकता है जो वैश्विक मानकों का ध्यान रखते हैं और उस तरह के जोखिम को भी कम कर देते हैं,क्योंकि मात्र एक घोटाले से ही सबके लिए निर्यात के रास्ते बंद हो सकते हैं.

सामाजिक लेबल प्रणाली कैसे काम करती है और बाल मज़दूरी को रोकने में क्या मदद कर सकती है? इसका तरीका यह है कि निर्यातक स्वतंत्र निरीक्षकों को भाड़े पर लेता है. आम तौर पर गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के माध्यम से ही इनकी व्यवस्था की जाती है. ये निरीक्षक अपने उप ठेकेदारों के कार्यस्थलों पर जाकर गैर-कानूनी बाल कामगारों पर नज़र रखते हैं. उसके बाद भागीदार उत्पादक अपने उत्पादों पर एक लेबल लगा देते हैं कि इनके उत्पादन के लिए किसी बाल मज़दूर का उपयोग नहीं किया गया. यदि वह कार्यस्थल पर बच्चों को पाता है तो उस उप ठेकेदार को भावी उत्पादन से वंचित कर दिया जाता है. इसीप्रकार यदि ब्रैंड प्रमाणीकरण को बनाए रखना चाहता है तो वह किसी भी ऐसे उप ठेकेदार को सप्लाई श्रृंखला से हटा देगा, जो इस कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा.

शायद इस बारे में सबसे अच्छा कार्यक्रम और भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद का कार्यक्रम "कालीन" (रगमार्क) सबसे अच्छा मॉडल सिद्ध हो सकता है. इसके अंतर्गत कालीन के हथकरघों पर निगरानी रखी जाती है कि इनमें गैर कानूनी बाल मज़दूर तो काम नहीं करते हैं. 1990 के दशक के आरंभ में अमरीकी और जर्मन राजनीतिज्ञों और चर्च के लोगों ने बाल मज़दूरी के कारण भारतीय कालीनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था. इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास ने बाल मज़दूरी के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध एक भारतीय एनजीओ के साथ मिलकर एक नई प्रमाणीकरण और लेबल प्रणाली तैयार की. वस्तुतः यह बाल श्रमिक कानून को विनियमित करने के लिए एक "बाज़ार-मैत्रीपूर्ण" योजना थी.

रगमार्क स्कीम के अंतर्गत कालीन बुनकर स्वैच्छिक निगरानी योजना के समर्थन के लिए चुंगी अदा करते हैं. इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित मॉनिटर बिना पूर्व घोषणा के ही इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत करघों का दौरा करते हैं और वे गैर-परिवार के बच्चों को वहाँ से हटा देते हैं या फिर उन्हें या तो उनके परिवार में वापस भिजवा देते हैं या रगमार्क फ़ाउंडेशन के स्कूल में भिजवा देते हैं. इसके बाद उसे सही घोषित करते हुए बुनकर और निर्यातक दोनों ही मुस्कुराते हुए अपने कालीनों पर पंजीकृत करघे का लेबल लगा सकते हैं. लेबल को देखकर सभी जगहों के उपभोक्ता बिना किसी अपराध-बोध के उन विशिष्ट कालीनों को खरीद सकते हैं.

परंतु रगमार्क, जिसने हाल ही में अपना नाम बदलकर "गुडवीव" अर्थात् अच्छी बुनाई रख लिया है, अब अपने कारोबार को कालीन से आगे बढ़ाकर ब्रोडर एप्परल और कपड़ा उद्योग तक फैलाने जा रहा है. भारत के बाल मज़दूर विशेषज्ञ अब उसकी प्रशंसा करने के बजाय व्यापक आलोचना करने लगे हैं. अधिकांश एनजीओ के समान रगमार्क भी एक छोटा संगठन ही है. इसमें थोड़े-से मॉनिटर ही काम करते हैं. इनकी संख्या बारह से अधिक नहीं है. ये लोग दो के समूह में गाँव-गाँव का दौरा करते हैं. यद्यपि वे यह दावा तो करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकृत करघों पर कोई बाल मज़दूर काम नहीं करता, वे निरंतर जाँच करते रहते हैं,लेकिन इस कार्यक्रम के अपने ही डेटा के अनुसार ये मॉनिटर तीन साल में सिर्फ़ एक बार ही एक करघे का दौरा कर पाते हैं. निश्चय ही बाल मज़दूरी जैसी इतनी व्यापक बुराई को दूर करने के लिए यह काफ़ी नहीं है. निगरानी का काम साधारण काम के घंटों में ही होता है. हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि बुनकरों के शेड में तो देर रात तक भी काम चलता है. इसीप्रकार निगरानी का

काम करघों तक ही सीमित रहता है. हम यह भूल जाते हैं कि कोई बच्चा करघे से बाहर भी कालीन से संबंधित अन्य कार्यकलापों से भी जुड़ा हो सकता है.

वास्तविकता तो यह है कि रगमार्क एक स्वैच्छिक संगठन है. इसमें विवेकाधिकार भी बहुत रहता है कि किसी करघे विशेष का निरीक्षण करने के लिए उसका पंजीकरण किया जाए या नहीं और कब किया जाए. आम तौर पर कालीन बुनकर तभी पंजीकरण करवाते हैं जब किसी खास कालीन के लिए निर्यातक द्वारा उपभोक्ता की चिंता के कारण प्रमाणीकरण की माँग की जाती है. रगमार्क लेबल की आवश्यकता अक्सर जर्मनी भेजे जानेवाले कालीनों के लिए की जाती है,क्योंकि वहाँ पर अधिकांश उपभोक्ता इसकी माँग करते हैं, लेकिन अगर किसी विशेष कालीन को कहीं और भेजना है,जैसे यदि कालीन अमरीका भेजा जाना है जहाँ लेबल बहुत प्रचलित नहीं है तो अधिकांश बुनकर अपने करघे को फिर से विपंजीकृत करा लेते हैं और फिर उनका किसी मॉनिटरिंग स्कीम से वास्ता नहीं रह जाता.

इन स्कीमों का क्या प्रभाव पड़ता है ? वर्ष 2003 में अलख शर्मा ने बाल मज़दूरों की सामाजिक लेबल प्रणाली का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि उत्पादन का अव्यवस्थित स्वरूप और भिन्न-भिन्न स्तरों पर बिचौलियों के दखल के कारण निगरानी का काम नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत फैल जाता है. इसलिए शर्मा के निष्कर्ष के अनुसार सामाजिक लेबल प्रणाली के कार्यक्रमों से बाल मजदूरी पर रोक के बारे में जागरूकता तो बढ़ सकती है, “लेकिन सामाजिक लेबल प्रणाली की इस पहल से बाल मज़दूरी की घटनाओं में अभी तक कोई कमी नहीं आई है.”

विडंबना यह है कि जितना भी हम उत्पादों को बाल मज़दूरी जोखिम मुक्त उत्पाद के रूप में प्रमाणित करने के लिए अधिकाधिक प्रयास करते हैं उतना ही उनका प्रभाव कम होता जाता है.लेबल की नकल की जा सकती है और उपभोक्ता आसानी से भ्रम में पड़ सकते हैं. आज हथकरघे से बुने अधिकांश कालीन योरोप और उत्तर अमरीका में बिकते हैं और उन पर लगा लेबल उपभोक्ताओं को आश्वस्त करता है कि वे बिना अपराध-बोध के कालीन खरीद सकते हैं,परंतु अधिकांश लेबल बहुत हद तक बेकार ही होते हैं,क्योंकि बाल मज़दूरी के कार्यकर्ता अक्सर बताते हैं कि छह साल के थके-माँदे बच्चे के लिए सामाजिक लेबल बुनना एक और काम हो जाता है.

भारत का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) यह स्वीकार करता है कि बाल श्रमिक कानून के प्रवर्तन के लिए स्वैच्छिक स्व-विनियामक योजनाएँ अनिवार्य योजनाओं का स्थान नहीं ले सकतीं. सरकारी स्तर पर सक्रिय प्रवर्तन के बिना किसी एक उद्योग में लेबल प्रणाली अभियान चलाने से बाल मज़दूरों का किन्हीं अन्य उद्योगों में जाने का खतरा और भी बढ़ जाता है या फिर ये विस्थापित बच्चे बजाय काम छोड़कर स्कूल में जाने के ऐसे उद्योगों में जा सकते हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए उत्पाद नहीं बनते.

बच्चों को कार्यस्थल से दूर रखने के अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने यह भी स्वीकार किया है कि आवश्यकता इस बात की है कि गरीब बच्चों की घर पर और स्कूल में भी मदद की जाए. भारत में भद्रलोक में गरीब और नीची जाति के बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी निराशा का भाव है और यही कारण है कि स्कूलों के लिए या फिर ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिनसे गरीब बच्चों को स्कूल भिजवाया जा सके, आवश्यक निधि मिलने में रुकावटें आती रहती हैं. ब्राज़ील में एक कार्यक्रम है, बोल्सा फ़ैमिलिया. इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक छोटी-सी रकम दी जाती है,जिसके कारण बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ गई है.

शिक्षा नीति की विशेषज्ञा नीरा बर्रा लिखती हैं कि भारत के शिक्षा नियोजकों ने बहुत पहले अनुमान लगाया था कि देश के आधे बच्चे स्कूल जा पाएँगे, लेकिन पर्याप्त इमारतों और शिक्षकों की कमी के कारण अधिकांश बच्चे वास्तविक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. बर्रा के निष्कर्ष के अनुसार पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ न देकर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते (और अगर वे स्कूल नहीं जाते) तो यह कहा जाता है कि परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बच्चों को मज़दूरी करनी पड़ती है. इसप्रकार के तर्क-वितर्क से बच्चे मज़दूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं.

सामाजिक लेबल प्रणाली कार्यक्रम बाज़ार के तर्क के इर्द-गिर्द तैयार किए जाते हैं. इसके अंतर्गत वैश्विक उपभोक्ताओं को अपील करने के लिए यह प्रमाणपत्र दिया जाता है कि उत्पादकों ने सप्लाई श्रृंखला को साफ़ कर दिया है. यदि भारत का लक्ष्य मात्र निर्यात-संवर्धन नीति ही नहीं है तो उन्हें बाज़ार की रणनीति के अनुरूप बाल मज़दूरी कानून के अंतर्गत निर्यातकों को प्रमाणपत्र देने के बजाय नागरिकता के तर्क के आधार पर स्कूलों

की संख्या बढ़ानी चाहिए और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम बनाने चाहिए.

गे साइडमैन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय - मैडिसन में समाज विज्ञान विभाग में समाज विज्ञान के प्रोफ़ेसर हैं.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा),रेल मंत्रालय, भारत सरकार

<malhotravk@hotmail.com>